राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–16.09.2017

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः – दिनांक 25.09.2017 से 04.10.2017 तक वित्तीय समावेशन की जानकारी अधिकाधिक लोगों को प्रदान करने बाबत्।

संदर्भः – सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पत्रांक17841–75 दिनांक 08.09.17

महोदय,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 21.08.2017 को आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक के कम में राज्य में **New Approach to Communication** के तहत जिलों में विभिन्न योजनाओं और सरकारी पहल के बारे में जानकारी अधिकाधिक लोगों को प्रदान की जानी है। इसके कम में दिनांक 25.09.2017 से 04.10.2017 तक वित्तीय समावेशन के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु जिले में निम्नानुसार कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन किया जाना हैः–

1. कार्यक्रमों/गतिविधियों में दी जाने वाली जानकारी

- राज्य में वित्तीय समावेशन हेतु भामाशाह योजना के तहत आमजन के खुलवाए गए जन–धन बैंक खाते से तथा इन खातों को खुलवाने से विशेषकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गो की भलाई व उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कैसे ये लोग लाभान्वित हो रहे है/होंगे, अवगत कराया जाए।
- ऐसे परिवार जो अभी तक भामाशाह योजना के तहत वित्तीय सामावेशन से नहीं जुडे है, उन्हें इससे जुडने पर शीघ्र व पारदर्शी रूप से घर के नजदीक लाभ प्राप्त करने की प्रकिया की जानकारी देकर योजना से जुडने हेतु प्रेरित किया जाए।
- इस योजना से जुडने के पश्चात दिए गए लाभ के संबंध में Case Study की जानकारी दी जाए।
- बैंक बी.सी/ई–मित्र पे–पॉइन्टों के द्वारा घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा किस प्रकार प्रदान की जा रही है, प्रकिया से अवगत कराए।
- क्षेत्रीय युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वे ई–मित्र पे–पॉइन्ट बन कर क्षेत्र में वित्तीय सुविधा प्रदान कर, स्वरोजगार पा सकते है।
- भामाशाह नामांकन, नामांकन में संशोधन/अद्यतन तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सम्बन्धी लाभों की जानकारी को भामाशाह नामांकन में जुडवाने (सीडिंग) की प्रकिया।

- मुद्रा लोन स्कीम के तहत दिए जाने वाले ऋणों को कौन प्राप्त कर सकता है व कैसे, इसकी प्रक्रिया बताते हुए इससे प्राप्त होने वाले लाभों को भी बताया जाए।
- भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु नगद व गैर नगद लाभ की 161 योजनाओं के संबंध में अधिसूचना दिनांक 06.02.2017 तथा विभिन्न सेवाओं के संबंध में परिपत्र 21 दिनांक 24.05.2017 की जानकारी दी जाए।

2. उक्त कार्यो के प्रचार-प्रसार हेतु जिले/ब्लॉक पर कार्यरत युवा विकास प्रेरक, संगणक, सूचना सहायकों, ई-मित्र, बैंक बीसी, एनजीओ इत्यादि को इसकी आवश्यक जानकारी प्रदान कर इनके लिए चिन्हित संस्था/स्थान यथा स्कूल/कॉलेजों, 02 अक्टूबर से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, विडियोवॉल वाले स्थानों, बैंकों, मेले इत्यादि स्थानों पर कार्यक्रम हेतु दिनांक वार कार्ययोजना तैयार कर संबंधितों को सूचित करें। कार्यक्रम में आमजन को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यो व इससे जुडने की आवश्यकता से अवगत कराया जाए।

   इस हेतु निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड नाटक आदि करवाए जाए। प्रोत्साहन हेतु प्रशस्ति पत्र जिसका प्रारूप संलग्न है, का स्थानीय संस्था प्रधान/अधिकारी के हस्ताक्षर कर वितरण करवाया जाए।

3. उक्त गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए तथा अधिकाधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
4. कार्यक्रम आयोजन की फोटो **firajasthan.des@gmail.com** पर ई-मेल की जाए, जिन्हें भारत सरकार के पोर्टल पर राज्य स्तर से अपलोड किया जाएगा। फोटो के साथ गतिविधि, स्थान, उपस्थित प्रमुखजन, दिनांक इत्यादि का भी उल्लेख होना चाहिए।

अतः इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक-16.09.2017

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला.............
4. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
5. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी..............................

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

जिला प्रशासन, जिला....................

प्रशस्ति पत्र

श्री/सुश्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री श्री.............................. द्वारा आज दिनांक .... को ....(स्थान) पर राजस्थान में भामाशाह योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुए कार्यो के सम्बन्ध में आयोजित वाद–विवाद/निबंध/प्रश्नोत्तरी/अन्य प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर मय मोहर